कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–43 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

जुआ खेलते 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने जुआ खेलते 02 अभियुक्तों–01. रवि जायसवाल पुत्र शिवचंद्र, 02. धर्मराज पुत्र कांधे निवासीगण चांदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 23.11.2020 को थाना तरबगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते, 530 रू0 व फड़ से 320 रूपये बरामद कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना तरबगंज में मु0अ0सं0–396/20, धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

01 किलो0 660 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अभिषेक सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र कल्ले सिंह उर्फ हरिवंश सिंह नि0 सेहरिया वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–377/20, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो0 660 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 24.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को ग्राम सहेरिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो0 660 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना वजीरगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज संतोष कुमार सिंह।
02. उ0नि0 अखिलेश यादव।
03. का0 अरूण यादव।
04. का0 रविन्द्र यादव।
05. का0 चन्दन मिश्रा।

थाना मनकापुर ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. सालिक राम पुत्र बालमुकुंद नि0 कन्हई जोत थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–436/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 24.11.2020 को थाना मनकापुर के उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 बृजेश कुमार।
02. हेड का0 मुस्तफा हुसैन।
03. हेड का0 मुबारक हुसैन।
04. का0 संजय यादव।

थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. राधेश्याम पुत्र मुनेश्वर नि0 टेपरी मौजा उर्दी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–309/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 24.11.2020 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 योगेश प्रताप सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 योगेश प्रताप सिंह।
02. का0 राजू यादव।
03. का सुरेश यादव।

बलवा करने के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमंचा बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. मनीष सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह नि0 मैटहा बिसुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. संजय सिंह पुत्र राजेश सिंह नि0 मैटहा बिसुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. राजेश सिंह पुत्र अयोध्या सिंह नि0 मैटहा बिसुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–352/20, धारा 147.323.324.504.506 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–357/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

संक्षिप्त विवरण–

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 19.11.2020 को वादी सूर्य प्रताप सिंह पुत्र स्व0 दानपाल सिंह नि0 मैटहा बिसुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा व उसके परिजनों को चुनावी रंजिश के चलते बलवा करते हुए लाठी–डण्डों से मारा–पीटा था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर खास की सूचना पर गॉधी ग्राम विद्यालय के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त राजेश के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्तों को थाना परसपुर में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अनिरूद्ध यादव।
02. का0 अभिषेक यादव।
03. का0 शशि कुमार।